



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 439 राँची, मंगलवार,

15 सितम्बर, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

10 जून, 2020 ई०।

संख्या :-11/कारा विविध-05/2020- 1993 -- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (C) No.-01/2020- In Re: Contagion of Covid-19 virus in Prisons में पारित न्यायादेश के अनुपालन में गठित High Powered Committee की दिनांक-19.05.2020 को आहूत बैठक में कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य की काराओं में जनाकीर्णता की समस्या के दृष्टिपथ COVID-19 के संक्रमण को रोकने के सुरक्षात्मक उपाय हेतु विदेशी बंदियों के संसीमन के निमित्त होटवार स्थित खेलगाँव परिसर में किसी उपयुक्त स्थल को चयन करने पर विचार किया गया।

तदनुसार, कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-905/जेल, दिनांक-22.05.2020 द्वारा मुख्य खेलगाँव स्थित एथलटिक्स स्टेडियम के टावर सं०-1 तथा 2 के बीच अवस्थित बॉयज होस्टल को स्थलीय निरीक्षणोपरांत कारा हस्तक की धारा-3 (1) एवं धारा-7 के तहत अस्थाई कारा (Temporary Jail) अधिसूचित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतएव उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव की तात्कालिक अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा के आलोक में कारा हस्तक के धारा-3 (1) एवं धारा-7 के

तहत् मुख्य खेलगाँव स्थित एथेलेटिक्स स्टेडियम के टावर सं०-1 तथा 2 के बीच अवस्थित ब्याँयज होस्टल को अस्थाई कारा (Temporary Jail) अधिसूचित किया जाता है।

कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची Prison Act, 1894 की धारा-7 के तहत् उपरोक्त अस्थाई कारा में संसीमित बंदियों के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

वर्णित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
